



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 02.04.2026 का कार्यवृत्त

समय: 12:45 बजे अपराह्न

स्थान: कुलपति के आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष

माध्यम: ऑनलाइन एवं ऑफलाइन (Hybrid Mode)

उपस्थिति:-

1 प्रो. संजय कुमार चौधरी, कुलपति	-	अध्यक्ष
2 प्रो. दिलीप कुमार चौधरी	-	सदस्य
3 डॉ. बैद्यनाथ चौधरी	-	सदस्य
4 श्रीमती मीना कुमारी	-	सदस्य
5 डॉ. अमर कुमार	-	सदस्य
6 प्रो. विजय कुमार यादव	-	सदस्य
7 प्रो. नारायण झा	-	सदस्य
8 प्रो. विमल कुमार	-	सदस्य
9 डॉ. सविता वर्मा	-	सदस्य
10 डॉ. शिवानंद झा	-	सदस्य
11 प्रो. अशोक कुमार मेहता सह प्रभारी कुलसचिव	-	सदस्य सह सचिव

सचिव-सह-प्रभारी कुलसचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष-सह-कुलपति महोदय को गणपूर्ति की सूचना प्रदान करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति मांगी गई। अनुमति प्राप्ति के पश्चात् सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए बैठक की विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मद सं. 01 अभिषद् की की गत बैठक दिनांक 25.01.2026 के कार्यवृत्त पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, अभिषद् की की गत बैठक दिनांक 25.01.2026 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 02 वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2026 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2026 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 03 भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर दरभंगा ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा DRS/DCU/CNG Station निर्माण हेतु विश्वविद्यालय की भूमि के हस्तानांतरण हेतु अनापत्ति-पत्र निर्गत करने के संबंध में विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर दरभंगा ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा DRS/DCU/CNG Station निर्माण हेतु विश्वविद्यालय की भूमि के हस्तानांतरण हेतु अनापत्ति-पत्र निर्गत नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आवश्यकतानुसार, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर दरभंगा एवं जिलाधिकारी, दरभंगा से वार्ता करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिनमें अभिषद् सदस्य प्रो. दिलीप कुमार चौधरी को संयोजक, अभिषद् सदस्य डॉ. बैद्यनाथ चौधरी, प्रो. नारायण झा, श्रीमती मीना कुमारी एवं डॉ. अमर कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

1 अक्षर 02/04/26



समिति जिला प्रशासन को इस बात से अवगत कराएगी कि विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजना अंतर्गत शोध विश्वविद्यालय में शामिल है। इस हेतु बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों) Multidisciplinary Education and Research Universities - MERU) मेरु के तहत विश्वविद्यालय में उक्त भूमि पर उद्भव (Incubation) केंद्र, रिसर्च लैब एवं आवासों का निर्माण होना है। इन कार्यों को देखते हुए विश्वविद्यालय आई.टी चौक, पुरानी बस स्टैंड के समीप रकबा-06 डी. भूमि एवं आई.टी. चौक, मेला ग्राउण्ड के समीप रकबा-30 डी. भूमि विश्वविद्यालय अधीन अन्य भूमि/स्थल के हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति-पत्र निर्गत नहीं करने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 04 अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्य बल की कमी को देखते हुए सम्राट सिक्युरिटी सर्विस प्रा०लि०, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव बल को विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में की गई प्रतिनियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय: सर्वसम्मति से, अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्य बलों की कमी को देखते हुए सम्राट सिक्युरिटी सर्विस प्रा०लि०, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव बलों को विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में की गई प्रतिनियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं. 05 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर किये गये नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर किये गये नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं. 06 श्री अभय कुमार झा, सहायक प्राचार्य, गणित विभाग, सी.एम. साईन्स कॉलेज, दरभंगा को ग्रहणाधिकार की तिथि 01.02.2022 से स्वीकृत त्यागपत्र की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, श्री अभय कुमार झा, सहायक प्राचार्य, गणित विभाग, सी.एम. साईन्स कॉलेज, दरभंगा को ग्रहणाधिकार की तिथि 01.02.2022 से त्यागपत्र की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं. 07 डॉ. अमलेन्दु कुमार, सहायक प्राचार्य, गणित विभाग, आर.बी.एस. कॉलेज, अन्दौर, समस्तीपुर को उनके अनुरोध पर दिनांक-19.12.2025 के प्रभाव से स्वीकृत त्यागपत्र की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, डॉ. अमलेन्दु कुमार, सहायक प्राचार्य, गणित विभाग, आर.बी.एस. कॉलेज, अन्दौर, समस्तीपुर को उनके अनुरोध पर दिनांक-19.12.2025 के प्रभाव से त्यागपत्र की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं. 08 अभिषद की बैठक दिनांक 04.12.2025 के कार्यवृत्त मद सं. 06 के द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार त्रिवेदी, सहायक प्राचार्य, अंग्रेजी विभाग, बी.एम.ए. कॉलेज, बहेड़ी, दरभंगा का चिकित्सीय कारण से दिनांक 02.07.2006 से 28.05.2008 तक कुल 697 दिनों के अनुपस्थिति अवधि का असाधारण अवैतनिक अवकाश के संबंध में वरीय अधिवक्ता से प्राप्त विधिक राय के पश्चात् स्वीकृति पर विचार हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय: सर्वसम्मति से, अभिषद की बैठक दिनांक 04.12.2025 के कार्यवृत्त मद सं. 06 के द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार त्रिवेदी, सहायक प्राचार्य, अंग्रेजी विभाग, बी.एम.ए. कॉलेज, बहेड़ी, दरभंगा का चिकित्सीय कारण से दिनांक 02.07.2006 से 28.05.2008 तक कुल 697 दिनों के अनुपस्थिति अवधि का असाधारण अवैतनिक अवकाश के संबंध में वरीय अधिवक्ता से प्राप्त विधिक राय के पश्चात् स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि भविष्य में इनके प्रोन्नति के समय इस अवधि को छुट्टी के रूप में गणना की जाएगी। साथ ही कुलानुशासक के परामर्श पर यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में एक माह से अधिक समय तक बिना किसी सूचना के अवकाश पर रहने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्थायी एवं अस्थायी पता पर कारण-पृच्छा किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय स्तर से आम सूचना जारी की जाय।

अ.स. 21.04.26

- 1649
- मद सं. 09 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर किये गये नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।
- निर्णय: सर्वसम्मति से, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर किये गये नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
- मद सं. 10 डॉ. दुर्गेश कुमार राय, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर को उनके अनुरोध पर दिनांक 08.12.2025 से बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना में सदस्य के रूप में कार्यरत रहने तक के लिए स्वीकृत असाधारण-अवैतनिक-अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।
- निर्णय: सर्वसम्मति से, डॉ. दुर्गेश कुमार राय, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर को उनके अनुरोध पर दिनांक 08.12.2025 से बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना में सदस्य के रूप में कार्यरत रहने तक के लिए असाधारण-अवैतनिक-अवकाश को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
- मद सं. 11 सी.एम. कॉलेज, दरभंगा परिसर के पश्चिम बागमती नदी के उस पार बाजिदपुर वार्ड नं.-23 (लाइबेरी पोखर) में तालाब का घाट निर्माण-सह-सौन्दर्यीकरण हेतु अनापत्ति-पत्र निर्गत करने के संबंध में अभिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय: सी.एम. कॉलेज, दरभंगा परिसर के पश्चिम बागमती नदी के उस पार बाजिदपुर वार्ड नं.-23 (लाइबेरी पोखर) में तालाब का घाट निर्माण-सह-सौन्दर्यीकरण हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से आग्रह किया जाय कि विश्वविद्यालय अभियंता से संपर्क स्थापित कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् अनापत्ति-पत्र निर्गत किया जाएगा।
- अन्यान्य मद
- अ. मद सं. 01 To consider the recommendation of Evaluation-Cum-Screening Committee for promotion from Assistant Professor (Level-10) to the post of Assistant Professor (Level-11) under CAS 18.07.2018.
- निर्णय: सर्वसम्मति से गृह विज्ञान एवं मनोविज्ञान विषयों के सहायक प्राध्यापकों को लेवल-10 से लेवल-11 में प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन-सह-स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया।
- इसके साथ ही शेष बचे विषयों में विभिन्न श्रेणियों के प्राध्यापकों को सहायक प्राध्यापक (Level- 10) से सहायक प्राध्यापक (Level- 11), सहायक प्राध्यापक (Level- 11) से सहायक प्राध्यापक (Level- 12) एवं प्राचार्य (Level- 14) से वरिष्ठ प्राचार्य (Level- 15) में नियम-परिनियम के अंतर्गत विज्ञापन निकालकर आवेदन के आधार पर प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया। प्राचार्य से वरिष्ठ प्राचार्य पद पर प्रोन्नति देने हेतु नियम-परिनियम बनाने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिनमें प्रो. अरुण कुमार सिंह, महाविद्यालय निरीक्षक को संयोजक, प्रो. दिलीप कुमार चौधरी, विज्ञान संकायाध्यक्ष, प्रो. विजय कुमार यादव, कुलानुशासक, प्रो. अशोक कुमार मेहता, अध्यक्ष, छात्र कल्याण एवं प्रो. मुनेश्वर यादव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
- अ. मद सं. 02 अभिषद् सदस्य डॉ. अमर कुमार ने प्रस्ताव रखा कि चतुर्थ चरण महाविद्यालयों के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामले को जल्द-से-जल्द निष्पादित किया जाय।
- निर्णय: सर्वसम्मति से, चतुर्थ चरण महाविद्यालयों के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लंबित मामलों को नियमानुसार शीघ्रता से निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।
- अ. मद सं. 03 अभिषद् सदस्य, श्रीमती मीना कुमारी ने प्रस्ताव रखा कि मिथिला पेंटिंग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई आरंभ करने एवं पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता पर विचार किया जाय।
- निर्णय: माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय की ओर से सूचित किया गया कि ललित कला संकायाध्यक्ष, संगीत एवं नाट्य विभागाध्यक्ष एवं अभिषद् सदस्य श्रीमती मीना कुमारी माननीय कुलपति महोदय से मिलकर इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे। विचार-विमर्श के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

अ. मद सं. 04

सर्वसम्मति से सभी अभिषद् सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय अवस्थित तालाबों एवं खाली पड़े जमीन की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी एवं तार कांटों से घेराव किया जाय।

निर्णय:

सर्वसम्मति से, विश्वविद्यालय अवस्थित तालाबों एवं खाली पड़े जमीन की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी एवं तार कांटों से घेराव करने का निर्णय लिया गया। ताकि, परिसर को पूर्णतः सुरक्षित किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलसचिव-सह-सचिव द्वारा उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को बैठक के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग, महत्वपूर्ण सुझाव तथा बहुमूल्य समय दिये जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तदुपरांत बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0/-

प्रो. अशोक कुमार मेहता
प्रभारी कुलसचिव-सह-सचिव

ह0/-

प्रो. संजय कुमार चौधरी
कुलपति-सह-अध्यक्ष

ज्ञापांक—UB-860/26

दिनांक—02.04.2026

प्रतिलिपि प्रेषित:—

1. अभिषद् के सभी सदस्य, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार पटना;
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार पटना;
4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना;
5. सभी पदाधिकारी, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट) ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

अशोक
02.04.26
कुलसचिव

अशोक
02.04.26